



2026:AHC:26838

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3229 / 2026

श्रीमती विमला द्विवेदी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंकुर विश्वकर्मा, रितेश कुमार, तंजीला परवीन

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार (दक्षिणी), तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज को मुकदमा संख्या 1039 / 2025 (श्रीमती विमला द्विवेदी बनाम महेश दत्त त्रिपाठी) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उपयुक्त होगा, जो यह अधिदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार कड़ाई से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7):

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित मामले को मामला दर्ज होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के प्रकाश में, प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार (दक्षिणी), तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज को उक्त आवेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार कड़ाई से इसके गुण-दोष के आधार पर, यथाशीघ्र और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिमानत: इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"